लाभार्थी महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के एक प्रखर राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध सन्त पूज्य स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज ने की थी। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की थी। उन पर गुरू की कृपा थी। राष्ट्रवाद उनका ध्येय था। इसीलिए संस्था का नाम भारत सेवाश्रम संघ नाम पड़ा। भारत सेवाश्रम संघ के साथ हिंदू मिलन मंदिर जुड़ा, जहां पर समस्त हिन्दू समाज एक मंच पर आकर अपनी समस्या का समाधान कर सके।

मुख्यमंत्री वाराणसी में भारत सेवाश्रम संघ के तत्वावधान में आयोजित श्री दुर्गा पूजा तथा सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम के अवसर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की। मुख्यमंत्री ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी की।

मुख्यमंत्री ने सभी को शारदीय नवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में 100 बहनों को महिला सशक्तीकरण के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 100 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इसके माध्यम से यह परिवार आर्थिक रूप से स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ तथा भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज का अभियान अत्यन्त अभिनंदनीय था। आज भी और आगे भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज की भौतिक देह बहुत थोड़े समय के लिए इस धरा धाम पर थी। लेकिन उन्हें

जितना भी समय मिला उसका एक-एक क्षण और एक-एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा, इसकी परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित किया। यह वह कालखण्ड था जब देश गुलाम था। देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी। गुलामी का समाधान क्या होगा, यह पूज्य संतों ने अपनी दूरदर्शिता से देख लिया था। भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी कैलिफोर्निया, जलपाईगुड़ी, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं दूर-दूर से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए काशी में आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ के इस आश्रम की नींव वर्ष 1928 में पड़ी थी। 04 वर्ष बाद 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष की यात्रा अत्यन्त गौरवशाली होती है। यह अपना मूल्यांकन करने का अवसर होता है। स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक दीक्षा वर्ष 1912-13 में गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गम्भीरनाथ जी से ली थी। मेमन सिंह, फरीदपुर, बंगाल (वर्तमान में बांग्लादेश) में बाबा गम्भीरनाथ ने उन्हें दर्शन दिया था। उस समय वह मात्र छठी सातवीं कक्षा के छात्र थे। योगीराज गम्भीरनाथ ने स्वामी प्रणवानन्द से गोरखपुर में आकर दीक्षा लेने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी प्रणवानन्द गोरखपुर आए और बाबा गम्भीरनाथ से पहली भेंट में ही स्वामी जी की 03 घण्टे की अखण्ड समाधि लगी। बाबा ने उनके बारे में कहा कि यह जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारम्भ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यहां पर उन्हें दीक्षा दी जा रही है। इसका उदाहरण विभाजन के समय देखने को मिला जब पूज्य स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज के फरीदपुर, बांग्लादेश स्थित आश्रम में जब विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट करने का दुस्साहस किया। विधर्मी जैसे ही आश्रम से बाहर निकलते थे, उन्हें खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए भारत सेवाश्रम संघ उन्हें निरन्तर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सेवा का कार्य हो या राष्ट्रवाद के मूल्य की स्थापना का कार्य, देश की आजादी के आन्दोलन का कार्य हो या स्वतंत्र भारत में किसी भी आपदा का सामना करने का कार्य,

भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों और स्वयंसेवकों ने जिस प्रभावी ढंग से अभियान चलाया है, उसने सर्वत्र प्रशंसा पाई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष स्वामी पूर्णात्मानन्द जी महाराज कैलिफोर्निया से आकर इस आयोजन में सहभागी बने हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत के सभी आश्रमों के माध्यम से सेवा का यही कार्य आगे बढ़े, तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मजबूत हाथों में आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 11वीं-12वीं अर्थव्यवस्था था, आज वह पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 03 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के साथ ही, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी समृद्ध विरासत का संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। हिन्दू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता। यह अहिंसा परमो धर्मः पर विश्वास करता है, लेकिन यह भी कहता है कि धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा परम धर्म है लेकिन यदि राष्ट्र की रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े, तो वह धर्म सम्मत है। यह आह्वान भारत के शास्त्र करते हैं। यही आह्वान स्वामी प्रणवानन्द जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अधूरी शिक्षा नहीं बल्कि पूर्ण शिक्षा के पक्षधर है। अहिंसा परमो धर्म यह पहला पक्ष है। यह कहता है कि हम सेवा कार्य से जुड़ें और दीन-दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। यहां उपस्थित सन्यासी इसका उदाहरण हैं। लेकिन यदि कोई राष्ट्र की एकता और अखण्डता को चुनौती देगा, राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, तो राष्ट्र की सुरक्षा और सम्प्रभुता एवं धर्म की रक्षा के लिए धर्म सम्मत हिंसा के भी पक्षधर हैं, जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में रख सके। यही भारत के महापुरूषों ने कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जाति, मत, मजहब तथा सम्प्रदाय से जुड़े महापुरूषों ने लोक कल्याण के लिए अपने-अपने अनुसार योगदान दिया है। उन सभी का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी ईष्ट, महापुरूष या योगी-सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है तो वह दण्ड का भागी बनता है। उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती भी है। विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी, तोड़फोड़ या लूटपाट करें। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तबका, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करना या मूर्तियों को खंडित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है, तब हिंदुओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन यदि किसी अज्ञानी के द्वारा या विद्वेष से कोई शब्द कहे जाते हैं, तो उसे लेकर जमीन-आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कोई भी कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस न करे।

स्वंय सहायता समूहों की दीदियां बना रही हैं, मनरेगा के तहत सिटीजन इनफार्मेशन बोर्ड

❑ सी आई बी बोर्ड बनाकर, आधी आबादी प्रशस्त कर रहीं है महिला स्वावलंबन की राह

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा प्रदेश में मनरेगा के तहत सीआईबी बोर्ड बनाये जा रहे हैं। मनरेगा का कार्य आरंभ होने से पूर्व सभी कार्यस्थलों पर स्थापित किए जाने वाले सीआईबी बोर्ड का निर्माण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। इस कार्य से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होती है, जिससे महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रहीं हैं और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। प्रति वर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वृहद स्तर पर सीआईबी बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्रिय सहभागिता कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायती समूहों के माध्यम से मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों पर नागरिक सूचना पट्टिका (Citizen Information Board) का निर्माण किया जा रहा है, इससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आजीविका में संवर्धन हो रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2023-24 में प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के 1100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की 5000 से ज्यादा महिलाओं द्वारा 5 लाख से ज्यादा नागरिक सूचना बोर्ड निर्मित किये गये।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक ग्रामीण आजीविका मिशन के 1200 स्वयं सहायता समूहों की 5600 महिलाओं द्वारा लगभग 3 लाख नागरिक सूचना बोर्ड निर्मित किये जा चुके हैं,इससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उद्यमिता की भावना भी विकसित हो रही है। मनरेगा योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के सृजन में प्रयुक्त होने वाले सीआईबी बोर्ड की आपूर्ति महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने के निर्देश हैं।

सिटीजन इनफार्मेशन बोर्ड में ग्राम पंचायत का नाम, विकास खण्ड, जनपद का नाम,कार्य की आई डी,कार्य की अनुमानित लागत,कार्य प्रारंभ करने की तिथि,कार्य पूर्ण होने की तिथि,मानव दिवस, मजदूरी आदि का उल्लेख किया जाता है। ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि कार्यस्थल पर लगने वाले सीआईबी बोर्ड के निर्माण हेतु संबंधित समूह को समय से आर्डर दिया जाता है, ताकि कार्य आरंभ होने से पूर्व सभी कार्य स्थलों पर निर्धारित मानकों के अनुसार सीआईबी बोर्ड स्थापित किया जा सके।

सहकारिता

संरक्षक
बी०एन०सिंह (आई.ए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0

श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक

स्वत्वाधिकारी, यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस, 14, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक-सुनील कुमार दिवाकर
फोन : 0522-4004577 (का.)
मोबाइल : 9415094114
ईमेल : sahkarita@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

आर0 एन0 आई0 नं0 : 25008/72
डाक पंजी0 सं0 - GPO- LW/NP-178/2024-26

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

वर्ष : 53 अंक : 03 (हिन्दी साप्ताहिक) लखनऊ-बृहस्पतिवार 17 अक्टूबर, 2024 से 23 अक्टूबर, 2024 पृष्ठ-4 वार्षिक 150.00 रूपया मात्र एक प्रति 3.00 रूपया

जनपद में बाढ़ को रोकने के स्थाई समाधान निकाले जाएं, राप्ती नदी को चैनेलाइज किए जाने के प्रयास किये जाएं : मुख्यमंत्री

- ❑ मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की
- ❑ निर्माणाधीन माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय व मेडिकल कालेज (के0जी0एम0यू0 सैटेलाइट सेण्टर) का निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित जनपद बलरामपुर में बाढ़ को रोकने के स्थाई समाधान निकाले जाएं। इसके लिए राप्ती नदी को चैनेलाइज किए जाने के प्रयास किये जाएं। जनपद के सभी सम्पर्क मार्ग अच्छी स्थिति में हों। नई सड़क व सेतु के लिए जनप्रतिनिधिगण के साथ प्रस्ताव बनाकर भेजें। कार्य के लिए शासन से शीघ्र धनराशि प्रदान की जाएगी। थारू जनजाति के लोगों को योजनाओं से संतृप्त करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। सभी पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी), मुख्यमंत्री आवास योजना 'ग्रामीण', आपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, जल जीवन मिशन, गोवंश टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग, गोवंश संरक्षण, बाढ़ निरोधक कार्य, वृक्षारोपण महाअभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को तत्काल दुरूस्त किया जाए। पेयजल पाइप डालने का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने जनपद में भूमि चिन्हित करते हुए नए वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्र बनाए जाने एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस इत्यादि का उत्पादन किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वादों का अभियान चलाकर निस्तारण

करें। 05 वर्ष से पुराना कोई भी राजस्व वाद लम्बित न रहें। पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्रामों में जाकर राजस्व वादों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने जनपद को प्लास्टिक मुक्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामों एवं शहरों में साफ-सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए। गांवों एवं शहरों में ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था हो तथा स्ट्रीट लाइट सही हो।

मुख्यमंत्री ने जनपद में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाए जाने के निर्देश दिए, ताकि निवेश में वृद्धि के साथ अधिक संख्या में रोजगार सृजन हो सके। लोगों की आय के स्रोत बढ़ाते हुए जनपद की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। जनपद में प्लेज पार्क स्थापित किया जाए। साथ ही, नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाए। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि की जाए।

मुख्यमंत्री ने दुर्गापूजा, रामलीला इत्यादि को सकुशल सम्पन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी नजर रखी जाए। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जाए। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। जनपद के टाप 10 माफिया को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कालेज आदि पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अवश्य लगे हों।

महाकुंभ-2025 में बनेंगे चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 की शीर्ष समिति की 11वीं बैठक आयोजित की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन में कुछ माह ही अवशेष हैं, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराना सुनिश्चित करायें। श्रद्धालुओं के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा संगम क्षेत्र व घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाये। तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। वर्टिकल गार्डेन का अच्छे से रख-रखाव किया जाए।

उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में एक लाइब्रेरी स्थापित की जाये। लाइब्रेरी में सनातन धर्म व संस्कृति तथा महाकुंभ से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को रखा जाये, जिससे मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। स्वच्छता कर्मियों के ठहरने का भी समुचित प्रबंध किया जाये।

बैठक में महाकुंभ मेला अवधि के दौरान सकुशल सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए 281.84 लाख रूपये की लागत से रैना मार्ग का

आईआईटी-कानपुर करेगा महाकुंभ-2025 का समग्र मूल्यांकन

चौड़ीकरण एवं सु.ढ़ीकरण के लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। यह मार्ग त्रिवेणी मार्ग से समुद्रकूप मार्ग तक जाता है। जनपद प्रयागराज में महाकुंभ के लिए अस्थाई स्टोर हेतु अस्थायी वेयर हाउस, अस्थाई बाउण्ड्रीवाल एवं पहुँच मार्ग निर्माण के साथ अन्य स्टोर सम्बन्धित कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के 798.17 लाख रूपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(शेष पृष्ठ 2 पर......)

प्रदेश में लागू की गयी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहुंची

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के गठन के उद्देश्यों, दायित्वों व अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अन्त्योदय के लक्ष्य के साथ सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में लागू की गयी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहुंची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के नेतृत्व में सदस्यों की टीमें बनाकर पहले चरण में मण्डल मुख्यालय तथा दूसरे चरण में जनपद स्तर पर क्षेत्र भ्रमण कर समाज के लोगों से संवाद बनाना चाहिए। छात्रावासों का भ्रमण कर वहां की साफ-सफाई तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विद्यार्थियों से संवाद बनाकर उनकी मनोस्थिति का आकलन करना चाहिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही निःशुल्क कोचिंग की वस्तु स्थिति तथा उससे प्राप्त होने वाली सफलता दर का आकलन किया जाना चाहिए।

लोगों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया आदि जनजातियों को सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी, राशन कार्ड आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए अभियान चलाकर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ कोई घटना घटित होने पर प्रशासन से समन्वय बनाकर उन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन के लिए हर सम्भव उपाय किये जाने चाहिए। लोगों के मन में व्यवस्था तथा सरकार के प्रति सम्मान का भाव दिखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को नियमित बैठक कर मामलों का निस्तारण करना चाहिए। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिकायतों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय तथा जिलास्तर पर भी अलग-अलग जगहों पर बैठक की जानी चाहिए। प्रत्येक बैठक से सम्बन्धित मिनट्स अवश्य तैयार करें, ताकि नीति निर्धारण के समय इसकी सहायता ली जा सके। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के कार्यालय में एक उचित मैकेनिज्म बनाकर कार्य करना चाहिए। पदाधिकारियों के बीच कार्य का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। कार्यालय में बैठने की उचित जगह, स्वच्छता, आवश्यक कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों व शिकायतकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट आदि की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तिकरण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं। 05 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बन्धित बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना वृद्धि की गयी है।

संपादकीय

हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि एवं पशु पालन का विशेष महत्व रहा है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, बतख, सूवर, मछली पालन प्रमुख रहे हैं। जिनके माध्यम से कृषि की आर्थिक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए हैं। वैदिक काल से ही गाय को गाय माता कहकर पुकारा जा रहा है गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र के महत्व को यजुर्वेद, अर्थवेद एवं ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। आज जब आधुनिक कृषि में उर्वरकों के अत्याधिक प्रयोग, कृषि नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण आदि में रसायनों के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की अत्याधिक हानि हुई है। फलस्वरूप मृदा का स्वास्थ्य विगड़ गया है। मृदा की उर्वराशक्ति, मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी, जल धारण क्षमता का हास इस स्तर तक हो गया कि खेत के खेत बन्जर होने लगे हैं। कृषि में प्रयुक्त इन संसाधनों के कारण कृषि लागत दिनों-दिन अत्याधिक बढ़ रही हैं। हानिकारक रासायनों के अवशेषों से वायु एवं भू-जल में इन जहरीले रसायनों का स्तर इतना बढ़ा की पानी फसलों, पशुधन, मानव, पेड़-पौधों, जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। लघु सीमान्त कृषकों के लिए बढ़ती कृषि संसाधनों के कारण खेती करना अलाभकारी सिद्ध हो रहा है। इन परिस्थितियों में पशुधन विशेषकर गो-वश का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। गाय के अविशिष्ट गोबर से हम जैविक खाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट, वर्मीवाश, सी0पी0पी0, मटका, खाद, नापेड इत्यादि बना कर मृदा की उर्वराशक्ति और मृदा के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। गो-मूत्र से कीट नाशक, जैविक फीनाइल, गोक्षरण इत्यादि बनाकर स्वयं के कृषि तन्त्र के प्रयोग में ला सकते हैं। कृषि लागत कम कर सकते हैं। लघु सीमान्त कृषक स्वयं के लिए रोजगार के अवसर अपने कृषि तन्त्र में बढ़ा सकते हैं। इन पदार्थो का विपणन कर दूध अतिरिक्त पशुधन से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

आज जैविक उत्पादों अर्थात वह खाद्य पदार्थ जिनका उत्पादन बिना हानिकारक रासायनों एवं उर्वरको के प्रयोग से किया गया हो। इन उत्पादों का महत्व बहुत बढ़ गया है। हर उपभोक्ता बाजार से इन्हें प्राप्त करना चाहता है। ऐसे जैविक खाद पदार्थो के उत्पादन के लिए पशुपालन एवं कृषक के लिए अनिवार्य हो गया है। लघु सीमान्त कृषक इन पशु अवशिष्टों को जैविक उर्वरकों में परिवर्तित कर अपने खेत को उर्वराशक्ति बढ़ाकर गो-मूत्र को कीट नाशकों के रूप में फसल पर प्रयोग कर स्वास्थ्यवर्धक जैविक खाद सामग्री की उत्पादन अपने खेतों में कर सकते हैं।

पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों में एवं चारागाहों में उगाएं जाने वाले पौष्टिक चारों का काफी योगदान है। पौध विकास विभाग द्वारा देश के विभिन्न कृषि मौसम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त चारे की किस्में विकसित की गयी हैं। इनके माध्यम से कृषक एवं पशु पालक अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। आवश्यकता है जानने एवं समझने की कुछ पौष्टिकता वाली किस्मों से आसानी से पौष्टिक चारा प्राप्त किया जा सकता है। ❑

राज्य सरकार का उद्देश्य पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करना है- धर्मपाल सिंह

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय में निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु 07 जनपदों के 12 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का वर्चुवल लोकार्पण किया। प्रदेश के जनपद आगरा, शाहजहांपुर, उन्नाव में दो-दो, संभल में तीन तथा अमेठी, गोंडा एवं झांसी में एक-एक वृहद गो संरक्षण केंद्रो का शत प्रतिशत निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन केंद्रों के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा प्रति केंद्र रू0 160.12 लाख अर्थात कुल रू0 1921.44 लाख की धनराशि व्यय की गई है। प्रति केंद्र में लगभग 400 गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है।

पशुधन मंत्री ने इस अवसर पर संबंधित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि गोवंश संरक्षण के कार्यों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। गोशालाओं में गाय भूखी न रहे और चारा, भूसा, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निराश्रित गोवंशों के कारण गरीब किसानों की फसलों को नुकसान तथा मार्ग दुर्घटनाओं के कारण जनहानि को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु नीति का प्रख्यापन कर ग्रामीण क्षेत्रों में 6,672 अस्थायी, 321 वृहद गो संरक्षण केंद्र तथा 307 कांजी हाउस एवं शहरी क्षेत्र में 289 कान्हा गो आश्रय सहित कुल 7,589 गो आश्रय स्थलों की स्थापना की जा चुकी है। इसमें कुल 12,08,088 गोवंश संरक्षित है। अभी तक कुल 522 वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष 321 केंद्र क्रियाशील हो चुकी हैं। इन केंद्रों में कुल 187919 निराश्रित गोवंश संरक्षित है।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन निरंतर किया जा रहा है। पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस दिशा में विभाग द्वारा निरन्तर सार्थक एवं सराहनीय कार्य किया जा है। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता के दृष्टिगत टीकाकरण कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया जा रहा है और विभाग की सभी योजनाओं का लाभ किसानों और पशुपालकों को दिया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान पर जोर दिया जाये। विभाग की योजनाओं का लाभ किसानों और पशुपालकों को पहुचाया जाए और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास के0 रविन्द्र नायक ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और पशुधन विकास मंत्री के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा निराश्रित गोवंश का गो आश्रय स्थलों में निरंतर संरक्षण किया जा रहा है। विगत तीन माह के भीतर मंत्री द्वारा बरेली के 09 केंद्रों तथा मुरादाबाद, बागपत, जालौन, मथुरा, उन्नाव व अमेठी में 12 केंद्रों सहित कुल 21 केंद्रों के लोकार्पण किया जाना उनके दृढ संकल्प एवं समर्पण का द्योतक है। आज लोकार्पण किए जा रहे 12 केंद्रों में 06 केंद्र वर्ष 2022-23 तथा 06 केंद्र वर्ष 2023-24 में स्वीकृत किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में 7634 कृषि सखियों के प्रशिक्षण एवं सत्यापन का कार्य किया गया पूर्ण

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व व निर्देशन में लखपति महिला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी के लक्ष्यों को पूर्ण करने एवं कृषि प्रथाओं को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से .षि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डे-एन आर एल एम)-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 269 प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 7634 कृषि सखियों के प्रशिक्षण एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण किया है। यह सखियां विभिन्न चयनित विभागों से समन्वय कर प्राकृतिक/जैविक खेती/कृषि पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देंगी। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह आवश्यकतानुसार इन कृषि सखियों के माध्यम से अपनी विभागीय विभिन्न गतिविधियों को मुकम्मल अन्जाम देने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में डे-एन आर एल एम की कृषि सखियों को कृषि, उद्यान, रेशम, एवं भूगर्भ जल विभाग अपने कार्यक्रम विस्तार हेतु पैरा प्रोफेशनल के रूप में समेकित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विभाग के अन्तर्गत कार्यक्रम विस्तार, प्रचार-प्रसार, लाभार्थी जोड़ने के कार्य एवं विभाग के कार्यक्रमो के लक्षित ग्रामीणों के प्रशिक्षण के कार्य उन्हें आवंटित किए जा सकते हैं। सम्बन्धित विभाग उनके द्वारा निर्धारित मानदेय नियमानुसार कृषि सखियों को प्रदान करेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग भूगर्भ जल विभाग सहित ग्राम्य विकास आयुक्त, मण्डलायुक्तों, मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0 आर0एल0एम0) द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डे-एन0आर0एल0एम0) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह सदस्यों में से चयनित ऐसे सदस्य जिनकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक हो एवं जो कृषि से संबंधित कार्यों का अनुभव एवं रूचि रखती हो एवं उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अच्छी किसान हों, उनमें उनके कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हो एवं उनके और निकटवर्ती ग्राम में स्थानीय भ्रमण करने हेतु कोई बाधा नहीं हो, का चयन कृषि आजीविका सखी के रूप में किया जाता है' कृषि सखियों द्वारा संगठन निर्माण, कृषि आधारित आजीविका से जुड़े कार्य, अनुश्रवण, के कार्य प्रशिक्षण के उपरान्त सम्पादित किये जाते हैं।

डे-एन0आर0एल0एम0 की कृषि सखियों को कृषि, उद्यान, सूक्ष्म सिंचाई, रेशम विभाग/निदेशालय को अपने कार्यक्रम विस्तार हेतु पैरा प्रोफेशनल के रूप में समेकित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विभागान्तर्गत कार्यक्रम विस्तार, प्रचार प्रसार, लाभार्थी जोड़ने के कार्य, एवं विभाग के कार्यक्रमों के लक्षित ग्रामीणों के प्रशिक्षण के कार्य आवंटित किये जायेंगे। संबंधित विभाग कार्य आवंटन के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान करेंगे एवं कृषि सखियों को प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में चयन करेंगे।

पृष्ठ 1 का शेष...महाकुंभ-2025 में बनेंगे चार.....इसी क्रम में बैठक में महाकुंभ हेतु आईआईटी-गुवाहाटी के विशेषज्ञों द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार जनपद प्रयागराज में गंगा नदी के दाहिने तट पर शास्त्री ब्रिज से संगम नोज तक 1957.71 लाख रूपये की लागत से सरकुलेटिंग एरिया के वृद्धि सम्बन्धित कार्य के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई, साथ ही सिंचाई विभाग को सुसंगत प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। यह भी कहा गया कि नगर विकास विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

महाकुंभ में सफाई कार्य हेतु 3200 अतिरिक्त सफाई मजदूरों को 90 दिनों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध करने के नगर निगम प्रयागराज के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर 1435.32 लाख रूपये व्यय होगा। इसी तरह सफाई कार्य हेतु सफाई उपकरण एवं कीटनाशक दवा की आपूर्ति हेतु 362.54 लाख रूपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रयागराज शहर में स्थित रेलवे स्टेशनों पर प्री-कास्ट शौचालयों के निर्माण कार्य हेतु 125.86 लाख रूपये के प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा कुम्भ मेला क्षेत्र के अन्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु 73.62 लाख रूपये, श्री कृष्णा पार्क में वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु 203.78 लाख रूपये, लल्ला चुंगी स्थित तिकोना पार्क में वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु 107.34 लाख रूपये तथा 200 टीपीडी बायो सीएनजी प्लांट के विद्युत कनेक्शन कार्य हेतु 382.56 लाख रूपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

महाकुंभ-2025 में चार गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। इस पर कुल 4.87 करोड़ रूपये खर्च होंगे। मेला प्रशासन की ओर से एक हजार ई-रिक्शे का परेड निकाला जाएगा, जो एक रिकार्ड होगा। एक साथ 15 हजार लोगों के माध्यम से घाटों की सफाई का रिकार्ड बनाया जायेगा। इसके अलावा एक अन्य रिकार्ड नदियों की सफाई का भी बनेगा। 300 लोग एक साथ नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को गति देने के साथ ही पूरे विश्व को स्वच्छता का संदेश देंगे। गंगा पंडाल व मेला क्षेत्र में मात्र आठ घंटे में 10 हजार लोगों के हाथों हैण्डप्रिंट प्रिंटिंग बनाने का रिकर्ड बनाया जायेगा। इस प्रस्ताव को बैठक में शीर्ष समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त महाकुंभ-2025 का आईआईटी-कानपुर द्वारा समग्र मूल्यांकन करने के लिए 95.53 लाख रूपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। आईआईटी कानपुर की टीम पुलिस सिक्योरिटी एवं उनके डिप्लायमेंट प्लान्स, ट्रैफ़िक एवं श्रद्धालुओं के मूवमेंट एक्सपीरियंस, मेले संबंधित सभी कार्यों की प्लानिंग, आर्गेनाइजेशन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज़ तथा मेले के सोशियो इकोनामिक इम्पैक्ट के बारे में रिसर्च कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का क्रान्तिकारी कदम

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मुख्यमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 51 हजार पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) को इस वर्ष आवास आवंटित किये गये हैं। उप मुख्यमंत्री की पहल पर इस तरह की निराश्रित महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) एक अत्यन्त ही संवेदनशील वर्ग है, जिससे सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर बेहद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस उम्र की विधवा महिलाएं प्रायः ऐसी होती है ,जिनमें से अधिकांश के बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिससे इनके सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता और बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को समस्या के दृष्टिगत इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता/प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो समाज के हर जरूरतमंद के साथ खड़े होने की जरूर सरकार की मंशा को दर्शाता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का यह क्रान्तिकारी कदम हैं। इससे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मातृ शक्ति को बहुत बड़ा सम्बल मिला है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की सरकार, महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। हमारी माताओं, बहनों व बेटियों ने हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस, और दृढ़ता को नमन करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण आवासीय योजना है, जिसे वर्ष-2018 से प्रारम्भ किया गया। इस योजना में प्राकृतिक आपदा, कुष्ठ रोग एवं कालाजार आदि रोगों से प्रभावित परिवार, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जनजाति परिवार, दिव्यांगजन तथा मुसहर, नटबांगिया, बंजारा आदि कई वर्ग के आवास विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में जोडते हुए इस योजना से बडी संख्या में लाभ दिया जा रहा है। अब तक 3.51 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटित किये गये हैं।

आपको बताते चलें कि इस योजना में वर्ष 2024-25 में पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस श्रेणी के आवासविहीन पात्र परिवारों का जनपद स्तर से सर्वेक्षण कराया गया। प्रदेश के जनपदों से लगभग 51 हजार घरों की मांग इस श्रेणी में की गयी। सभी 51 हजार पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) को इस वर्ष आवास आवंटित कर दिये गये हैं। इन आवासों के स्वीकृति एवं प्रथम किस्त निर्गत कराने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, द्वारा विभागीय अधिकारियों को इन परिवारों के शीघ्रता से आवास स्वीकृत कर इन्हें पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। कहा है इतनी बड़ी संख्या में पति की मृत्यु के उपरान्त कम उम्र की निराश्रित महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशीलता एवं मिशन शक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आयुक्त ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि अब तक 3.51 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटित किये गये हैं।

संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों व विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लगे लोगों की क्षमता संवर्धन हेतु लगातार प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा दिनांक 07 से 11 अक्टूबर, 2024 की अवधि में प्रदेश के आठ जनपदों के 23 विकास खण्डों से सहायक विकास अधिकारी के पदों से प्रोन्नति प्राप्त, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों हेतु, 05 दिवसीय आवासीय, "पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए प्र. अपर निदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बी डी चौधरी ने बताया कि इन पांच दिवसों में इन सभी प्रशिक्षु प्रतिभागी अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत विभिन्न विषयों यथा- दैनिक कार्यालय प्रशासन, कार्यो का वर्गीकरण तथा प्राथमिकता निर्धारण, उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956, विभिन्न स्तर के शिकायत निवारण प्लेटफार्म विषयक, टी0ए0 नियम एवं एल0टी0सी0, कार्यालय के अभिलेखों का रखरखाव, अवकाश नियम, सेवा संबंधी अभिलेखों में अंकन की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित पप्रत्र के न होने के दुष्प्रभाव, मानव सम्पदा पोर्टल, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, स्टोर एवं भण्डारण प्रबन्धन, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत लघुदण्ड एवं वृहद दण्ड, निलम्बन की अवधारणा इत्यादि प्रमुख विषयों पर राज्य स्तरीय प्रबुद्ध विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रासंगिक वार्तायें प्रदान की जा रही हैं। प्रशिक्षण के चौथे दिवस पर, ग्राम पंचायत सिंहामऊ, विकास खण्ड बख्शी का तालाब, लखनऊ में, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत संचालित की जा रही योजनाओं के पर्यवेक्षण, अध्ययन एवं आंकलन के परिप्रेक्ष्य में एक क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के प्र.अपर निदेशक बी0डी0 चौधरी के मार्ग निर्देशन व उप निदेशक डा0 नीरज गुप्ता के नियन्त्रण में किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी डा0 एस0 के0 सिंह सहायक निदेशक, सहायक प्रभारी सरिता सिंह, सहायक निदेशक, संकाय सदस्य नवीन चन्द्र अवस्थी तथा सलाहकार कुमार दीपक का विशेषरूप से सराहनीय योगदान है।

51 सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों के संचालन हेतु 76 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य के तहत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं मैनपुरी, बाराबंकी तथा बलिया में क्रियाशील 51 सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 76 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृति की है।

इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक प्रशासन एवं विकास को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने GCAP वर्ल्ड सॉटेक के साथ स्कॉलर प्लैनेट ऐप लॉन्च किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने GCAP वर्ल्ड साटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 'स्कालर प्लैनेट ऐप' का शुभारंभ कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कालेज, गोमती नगर में आयोजित किया गया। यह ऐप छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समग्र डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करता है, जो शैक्षिक अनुभवों को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि यह ऐप माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। प्रत्येक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ICT लैब की स्थापना हो रही है। इसके साथ ही, अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से छात्रों को रोबोटिक्स और एआई की जानकारी दी जाएगी, और व्यावसायिक दक्षता के लिए प्रत्येक राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने GCAP वर्ल्ड साटेक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि स्कालर प्लैनेट ऐप के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

स्कालर प्लैनेट ऐप को स्मार्ट स्कूल, शिक्षार्थी और शिक्षक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जनरेटिव एआई, और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि छात्रों की शैक्षिक यात्रा के हर पहलू में सहायता मिल सके। यह ऐप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों से मेल खाता है, जो शैक्षिक प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता है।

अब तक, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली के 91 स्कूलों के 30,499 छात्र और 655 शिक्षक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। इन संस्थानों को 54 आनबोर्डिंग सत्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्लेटफार्म का उपयोग करना सिखाया गया है, ताकि वे छात्रों की प्रगति को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सकें और डिजिटल माध्यमों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें।

स्कालर प्लैनेट ऐप प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपकरण प्रदान करता है। इससे न केवल छात्रों की शैक्षिक भागीदारी बढ़ेगी बल्कि उनके परिणामों में भी सुधार होगा। शिक्षक इस प्लेटफार्म का उपयोग असाइनमेंट प्रबंधन, छात्रों की प्रगति की निगरानी और बेहतर संवाद के लिए कर सकते हैं।

लान्च कार्यक्रम में महानिदेशक, श्रीमती कंचन वर्मा (आईएएस), GCAP के सीईओ, श्रीमती गौरी कुमार (आईएएस, सेवानिवृत्त), और रविंद्र सिंह (आईएएस, सेवानिवृत्त) उपस्थित रहे।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अभियंताओं को मिली तैनाती

जीवन में ईमानदारी को सबसे अधिक प्राथमिकता दें, परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें

: जल शक्ति मंत्री

प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में तेलीबाग स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के परिकल्प भवन सभागार में अवर अभियंताओं का पदस्थापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 11 नव प्रोन्नत अधिशासी अभियंताओं (यांत्रिक) तथा 144 नवनियुक्त अवर अभियंताओं (सिविल) को उनके द्वारा मांगे गये विकल्प के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत पदस्थापन किया गया।

जल शक्ति मंत्री ने सभी उपस्थित नव चयनित अवर अभियन्ताओं को विभाग में नियुक्ति हेतु बधाई देते हुए कहा कि आप सभी अपने जीवन में ईमानदारी को सबसे अधिक प्राथमिकता दें, परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।विभाग द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। आप सभी किसानो के हित में अपना बहुमूल्य योगदान दे। उन्होंने नव नियुक्त अवर अभियंताओं से पूर्ण दक्षता व क्षमता के साथ बिना दबाव के कार्य करते हुये विभाग को आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत चयन एवं पदस्थीकरण की कार्यवाही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके द्वारा निष्पादित कार्य सदैव किसानों के हित में होने चाहिए।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई हुई है। पदस्थापना से लेकर स्थानांतरण तक सभी प्रक्रिया व्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न हो रही है। भर्ती से लेकर तैनाती तक की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार की अनियमित्ता नहीं होने दी जाएगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जलसंसाधन अनिल गर्ग, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष अखिलेश सचान, प्रमुख अभियंता परियोजना संदीप कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।